अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर 0141–2227275, ई–मेल seprd1235@gmail.com

---

क्रमांक एफ 4 (1489) पराविं / पीसी / NJM / Trg / 2026 / 87001 जयपुर दिनांकः–यथाहस्ताक्षर

- **जिला कलक्टर, जिला समस्त।**
- **मुख्य कार्यकारी अधिकारी**
  जिला परिषद्–समस्त।

विषयः– नल जल मित्रों का प्रशिक्षण (Training) बाबत।

संदर्भः– PHED राजकाज संदर्भ सं. 24195297 दिनांक 24.08.2026 विभागीय पत्र दिनांक 20.11.2024 (प्रमुख शासन सचिव, पीएचईडी एवं शासन सचिव एवं आयुक्त, पंरावि से संयुक्त हस्ताक्षरित), राजकाज पत्र दिनांक 22.04.2025 एवं राजकाज संदर्भ सं. 19285316 दि. 10.12.2025 एवं राजकाज संदर्भ. 21895034 दिनांक 29.04.2026 (अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के स्तर से) राजकाज संदर्भ. 22509370 दिनांक 01.06.2026, राजकाज संदर्भ. 22573319 दिनांक 02.06.2026 एवं राजकाज संदर्भ. 22979586 दिनांक 22.06.2026, विभागीय राजकाज संदर्भ संख्या 23451894 दिनांक 16.07.2026, 23597544 दिनांक 27.07.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत जल जीवन मिशन के तहत नल जल मित्र के प्रशिक्षण हेतु विभाग को पीएचईडी के माध्यम से DWSM द्वारा नल जल मित्र के चयन हेतु सभी जिलो से अनुमोदित नामांकित अभ्यर्थियों की सूचियां प्राप्त हुई है, उक्त सूचियां ट्रेनिंग हेतु RSLDC को प्रेषित की जानी है।

उक्त सूचियों का अवलोकन करने पर पाया गया है कि यह सूचियां जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्धारित मानदंडों (यथा न्यूनतम योग्यता, अनुभव एवं आयु सीमा) के अनुरूप नहीं है। उपरोक्त विसंगतियों के कारण राज्य स्तर पर सभी सूचियों का मिलान किया जाना संभव नही है।

दिनांक 13.08.2026 को जल अर्पूण कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों को जेजेएम की योजनाऐं हस्तान्तरित हो गई है एवं निकट भविष्य में और अधिक योजनाऐं भी ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की जावेगी। अतः उक्त योजनाओं के रखरखाव हेतु सर्वप्रथम राज्य

RajKaj Ref No.: 24404843
M e-Sign

Signature Not Verified
Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2026.09.10 22:57:16 IST
Reason: Approved

स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रशिक्षित (आरपीएल) एवं एक अप्रशिक्षित (नल जल मित्र) का तत्काल चयन किया जाकर प्रशिक्षण दिया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नल जल मित्र एवं आरपीएल प्रशिक्षण हेतु विभाग को अंतिम सूची भिजवाने से पूर्व उपरोक्त वर्णित सभी मापदण्डों का मिलान करवाते हुऐ अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें, ताकि राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम को प्रशिक्षण हेतु सूची भिजवायी जा सके।

(डॉ0 जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3. मिशन निदेशक (जल जीवन मिशन), पीएचईडी को भेजकर अनुरोध है कि पीएचईडी विभाग के जिला स्तरीय DWSM के Member Sectary, अधीक्षण अभियन्ता पीएचईडी को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करवाने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।
4. एसीपी (कम्प्यूटर) को विभागीय वेबसाईट पर उपलोड करने बाबत।
5. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला–समस्त।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2026.09.10 22:57:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24404843

M e-Sign